न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-460RAAJodhpur2023-212RTA223 Devaram ors Vs Agaridevi etc

01. देवाराम पुत्र श्री कुशलाराम,
02. मदनलाल पुत्र लालूराम
03. मोहनलाल पुत्र लालूराम
04. निम्बाराम पुत्र चन्द्राराम

सभी जातियान मेघवाल निवासीगण ग्राम आउ तहसील आउ जिला फलोदी।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. अगरीदेवी पुत्री कुशलाराम पत्नी नारायणराम,
2. गंगादेवी पुत्री कुशलाराम पत्नी जेठाराम
   जातियान मेघवाल निवासीगण मेघवालों की ढाणीया, खटोडा, तहसील खिवसर जिला नागौर।
3. जगदीश पुत्र कुशलाराम .
4. पन्नाराम पुत्र चन्द्राराम
5. भगवानाराम पुत्र चन्द्राराम
6. रमेश पुत्र चन्द्राराम
7. हरकु पुत्री चन्द्राराम
   सभी जातियान मेघवाल निवासी ग्राम आऊ तहसील आऊ जिला फलोदी।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आऊ जिला फलोदी।
9. उपपंजीयक आऊ जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 नवंबर 2023 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर आऊ राजस्व मूल वाद संख्या 31/2023 अगरीदेवी व अन्य बनाम जगदीश इत्यादि

उपस्थित–
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक व दो
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या आठ

नि र्ण य

दिनांक : 18 मई 2026

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर आऊ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 31/2023 अनवान अगरीदेवी व अन्य बनाम जगदीश इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 नवंबर 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 20 दिसंबर 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लोहावट के समक्ष वादग्रस्त भूमि ग्राम आऊ तहसील आऊ के खेत खसरा संख्या 68 रकबा 26 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 69 रकबा 53 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 360 रकबा 49 बीघा 16 बिस्वा कुल रकबा 129 बीघा 15 बिस्वा भूमि के संबंध में धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तत्पश्चात विचारण न्यायालय का क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने से पत्रावली सहायक कलक्टर लोहावट से सहायक कलक्टर आऊ स्थानांतरित हो गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 नवंबर 2023 के जरिये वाद स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाब हेतु विचाराधीन चल रही थी तथा मामले में तारीख पेशी दिनांक 21–08–2023 से 21–11–2023 रखी गई थी। इस तारीख पेशी से पूर्व ही पत्रावली नये उपखण्ड कार्यालय आऊ में स्थानान्तरित हो गई, जहां बिना सूचना के ही तारीख पेशी बदलते हुए विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही बाले बाले आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित किये गये है। अपीलार्थीगण द्वारा अधिवक्ता नियुक्त किया जा चुका था तथा अपना जवाबदावा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत करना था। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को बिना सूचना दिये ही एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया जो आदेश बिना सूचना के ही होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना दस्तावेजों को साबित माने आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जबकि वादीगण द्वारा अपना वाद मौखिक व लिखित साक्ष्य से साबित नही किया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के पक्ष में किये गये बैचाननामा को निरस्त व शून्य घोषित किये बिना ही आलोच्य निर्णय पारित किया है, जबकि बैचाननामा मौजूद होने के कारण उक्त बेचाननामा को शून्य घोषित किये बिना घोषणा नहीं की जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी द्वारा भूमि का बेचान अपीलार्थी संख्या 1 व 2 को करना बताया गया है, जिस बैचाननामें को निरस्त करवाये बिना ही तथा बैचाननामा के संबध में किसी तरह की इस्तदुआ के बगैर ही वाद का निस्तारण किया गया है तथा विचारण न्यायालय द्वारा जो घोषणा की गई है, वह घोषणा रिकोर्ड के विपरीत जाकर की गई है। विवादित भूमि का वाद प्रस्तुत करने से पूर्व ही बैचान किये जाने के कारण तथा बैचाननामें को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त करवाये बिना वाद राजस्व न्यायालय में चलने योग्य नही रह जाता है। अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर नहीं मिलने से वे अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नही रख पाये थे। ऐसी स्थिति में आलोच्य निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर आऊ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 31/2023 अनवान अगरीदेवी व अन्य बनाम जगदीश इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 नवंबर 2023 को अपास्त किया जावे तथा मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश जारी किये जावे कि वह उभय पक्ष की समुचित सुनवाई उपरांत मामले का पुनः विधिसम्मत निस्तारण करे।

जवाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्तागण ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात वादीगण/रेस्पो. संख्या एक व दो के पिता कुशलाराम पुत्र सुगनाराम की सामलाती खातेदारी की पुश्तैनी भूमि है। कुशलाराम के फौत होने पर हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 8 के सथा समान हक–हिस्सा बनता है। वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 का कब्जा मौके पर आज दिन तक शांतिपूर्वक चला आ रहा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 व चन्द्राराम तथा माडु ने वादीगण/रेस्पो. संख्या एक व दो को उनके जायज हक से वंचित रखने की नियत से हल्का पटवारी व सरपंच ग्राम पंचायत आऊ से मिलावट

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कर कुशलाराम के फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1211 मौजा आऊ अपने अकेलो के हक में भरवाकर स्वीकृत करवा लिया, जबकि वादग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी होने से उसमें रेस्पो. संख्या एक व दो का भी पुश्तैनी हिस्सा निहित है। रेस्पो. संख्या एक व दो की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष अपने वाद को दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा उपलब्ध अभिलेख के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये वादीनीगण को अपने पुश्तैनी हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने के विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने के बाद उन्हें जवाब प्रस्तुति का समुचित अवसर प्रदान किया गया था, किंतु अपीलांट्स की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। यह उल्लेखनीय है कि हिस्से से अधिक किया गया बेचाननामा शून्य होने से उक्त बेचाननामा से रेस्पो. संख्या एक व दो के हित प्रभावित नहीं होते है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है।ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी ज़ावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता एवं रेस्पो. संख्या दस के अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर लोहावट द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की तामील करवाये जाने के बाद उनकी ओर से दिनांक 27.01.2023 को अधिवक्ता श्री दीपक गौड़ एवं श्री जैताराम विश्नोई उपस्थित हुए है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली जवाबदावा एवं शेष प्रतिवादीगण की तलबी में विचाराधीन रहने के दौरान तारीख पेशी दिनांक 21.08.2023 को आगामी पेशी दिनांक 21.11.2023 नियत किया जाना प्रकट होता है। इसी दरम्यान् नवीन सहायक कलक्टर न्यायालय आऊ का सृजन होने से पत्रावली स्थानांतरित होकर सहायक कलक्टर आऊ में दिनांक 06.10.2023 को संस्थित होना प्रकट होती है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली स्थानांतरित होने के बाद अपीलांट्स को सूचना बाबत सम्मन जारी किये बिना, विधि में निहित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रावधानोनुसार जवाबदावा प्रस्तुत होने के पश्चात वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत, वाद एवं जवाबदावा के आधार पर मामले में तनकीयात कायमी एवं उभय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानो एवं वाद विचारण की प्रक्रिया के विपरीत पारित किये जाने पाये जाते है। अपीलांट्स के कथनों के परिप्रेक्ष्य में यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स के पक्ष में निष्पादित बैचाननामा के प्रभावी रहते रेस्पो./वादीनीगण को वादग्रस्त आराजीयात में किसी प्रकार के हक व अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रक्रिया एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर आऊ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 31/2023 अनवान अगरीदेवी व अन्य बनाम जगदीश इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 नवंबर 2023 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देष के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में वाद विचारण की प्रक्रिया की पालना करते हुए उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार मामले का पुनः निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर